राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–20 / मस्वाका / व्यक्ति.अनु. / (सी–264) / 2010 / 1117 दिनांकः 8/7/10

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– व्यक्तिगत अनुबंध पर चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कार्य व्यवस्था हेतु 537 नवसृजित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगाने बाबत्।

संदर्भः– उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग की स्वीकृति क्रमांक प. 17 (14) चिस्वा / 2 / 2009 दिनांक 03.12.2009 एवं दिनांक 18.12.09 एवं निदेशालय का पत्रांक ई–20 / मस्वाका / व्यक्ति.अनु. / (सी–264) / 2010 / 42 दिनांक 11.01.2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान राज्य सरकार एवं निदेशालय के संदर्भित पत्रों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा वर्ष 2009–10 में 537 नवसृजित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर आपके अधीन जिन उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर दो–दो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगी हुई है, उन में से व्यक्तिगत अनुबंध/संविदा पर कार्यरत एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नवसृजित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर अग्रिम आदेशों तक कार्य व्यवस्था हेतु लगाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु आपके द्वारा सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक–एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है।

अभी हाल ही में निदेशालय द्वारा 2300 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (संविदा) की नियुक्तियां कर आपके अधीन पदस्थापन किया गया है, फिर भी कुछ जिलों में आपके द्वारा दिनांक 02.07.2010 को होने वाली मिटिंग हेतु प्रेषित सूचना में कुछ **उप स्वास्थ्य केन्द्र महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहित बताये गये हैं।**

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर उसके नजदीकी उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर जहां दो–दो महिला स्वास्थ्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत है, उसमें से संविदा पर कार्यरत एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कार्य सम्पादन हेतु अविलम्ब लगाते हुये वैकल्पिक व्यवस्था कर, की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को तुरन्त अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

यदि इन निर्देशों के पश्चात् भी कोई उप स्वास्थ्य केन्द्र महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहित रहता है तो इसके लिए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–20 / मस्वाका / व्यक्ति.अनु. / (सी–264) / 2010 / दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय।
5. निदेशक (आर.सी.एच.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करें।
7. प्रभारी सरवर रूम मुख्यालय, नेट पर डलवाने हेतु

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर